



न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी आसीन्द

बईजलास श्री संदीप कुमार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 100 / 2019 निर्णय दिनांक 20.05.2022

कापू कर

बनाम छुट्टारि

[विस्तृत विवरण पृष्ठ पर अंकित है।]

उपस्थित - वकील प्रार्थी / प्रार्थीगण उपस्थित

आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू.राजस्व अधिनियम 1956

(1) प्रार्थी/ प्रार्थीगण द्वारा जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 LRA में प्रस्तुत कर संश्लेषण निवेदन

किया कि प्रार्थी / प्रार्थीगण की निम्नांकित कृषि भूमि स्थित है -

| क्र.सं. | नाम ग्राम | जमाबन्दी संवत | खाता संख्या | आ.नं. | रकबा | आ.नं. | रकबा | आ.नं. | रकबा | आ.नं. | रकबा |
|---------|-----------|---------------|-------------|--------|------|--------|------|-----------|------|-----------|------|
| 1 | पीपलानर | 2075-78 | 63 | 1536 | 0.36 | 160 | 0.06 | 2042/ | 0.05 | क्रमां 19 | 2.06 |
| | | | | 1538/4 | 0.26 | 1610/1 | 0.07 | 2139/2014 | 0.06 | | |
| | | | | 1608 | 0.43 | 1925 | 0.51 | 2224/153 | 0.26 | | |

(2) प्रार्थी/ प्रार्थीगण की आराजियात के सीमा चिन्ह नही होने की वजह से विपक्षीगण के बीच आये दिन विवाद होता रहता है तथा घास काटने और पेड़ों की कटाई छंगायी को लेकर हमेशा विवाद बना रहता है जिससे प्रार्थी की आराजियात की पत्थरगढी करवाया जाना आवश्यक है। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि प्रार्थी / प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर उक्त आराजियात की पत्थरगढी करवायी जाने का आदेश प्रदान करावें।

(3) प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी/ अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी/ अप्रार्थीगण के नाम की विधिवत रूप से आवाज लगवायी जाने पर उनके बावजूद सूचना उपस्थित न्यायालय नहीं होने से उनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश जारी किये हुये है / जारी किये जाते है। प्रार्थी / प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार / श्रवणाधिकार में स्थित है।

(4) पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया एवं पाया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि प्रार्थी / प्रार्थीगण के नाम खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड है तथा प्रार्थीगण अपनी उक्त आराजियात की पत्थरगढी करवाये जाने के अधिकारी पाये जाने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायालय उचित समझता है। अतः

क्रियात्मक- आदेश

प्रार्थी / प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त वर्णित कृषि भूमि की राजस्व रेकार्ड अनुसार पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रार्थी / प्रार्थीगण की सहमति पर भू.अ.निरीक्षक श्री लक्ष्मण को 2000/- ₹ की फीस पर कमीशर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी / प्रार्थीगण से मौके पर कमीशर फीस जमा की जाकर इसका अंकन पालना रिपोर्ट में किया जावें। पत्थरगढी की कार्यवाही दिनांक से कम से कम तीन दिन पूर्व समस्त हितबद्ध पड़ोसी एवं खातेदारान को उक्त आराजियात की पत्थरगढी की जाने की लिखित सूचना जरिये पत्र समय एवं तिथि के अंकन के साथ दी जाना सुनिश्चित करें। प्रार्थी / प्रार्थीगणों की उक्त आराजियात की पत्थरगढी उभय पक्षकारान मौतवीरान की उपस्थिति में कब्जे की / स्थिति को यथावत रखते हुये मुश्तकिल बिन्दू को आधार मानते हुये की जावें। निर्णय की प्रति वास्ते पालनार्थ तहसीलदार आसीन्द को भिजवायी जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर करें। निर्णय आज दिनांक 20.05.2022 को प्रशासन गांवों के संग अभियान -2021 फोलोअप केम्प में मजमे आम सुनाया गया।

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी आसीन्द

क्रमांक / रीडर / 2022/

प्रतिलिपी तहसीलदार आसीन्द को प्रेषित कर लेख है कि निर्णयानुसार पालना करा पालना रिपोर्ट शीघ्र न्यायालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

(संदीप कुमार) S.D.O.


आसीन्द तहसीलदार

दिनांक 20/05/22

सहायक कलक्टर (S.D.O.)

आसीन्द तहसीलदार

| क्र.सं. | पक्षकार का नाम | प्रार्थी / अप्रार्थी |
|---------|---|----------------------|
| 1 | स्वाप्न कवर पाटील मंगण सिंह राजपूत नि. पीया का खेडा - रतनपुरा | उपस्थित |
| 2 | सुदाम सिंह जिता देवत सिंह राजपूत नि. पीया का खेडा - रतनपुरा | उपस्थित |
| 3 | जीता सिंह पिता आनंद सिंह राजपूत नि. पीया का खेडा - - - | - - - |
| 4 | भारत सिंह पिता अनोहर सिंह राजपूत नि. पीया का खेडा - - - | - - - |
| 5 | बाबामण सिंह पिता गज सिंह राजपूत नि. पीया का खेडा - - - | - - - |
| 6 | गणपत सिंह पिता गवानी सिंह राजपूत नि. पीया का खेडा - - - | - - - |
| 7 | दिग्गज सिंह पिता आनंद सिंह राजपूत नि. पीया का खेडा - - - | - - - |
| 8 | गैक सिंह जिता मेसी सिंह राजपूत नि. पीया का खेडा - - - | - - - |
| 9 | नाहर सिंह जिता अर सिंह राजपूत नि. पीया का खेडा - - - | - - - |
| 10 | नाहर सिंह जिता भान सिंह राजपूत नि. पीया का खेडा - - - | - - - |
| 11 | बबूलाल जिता सुरजभल सुरत नि. सेज्जी का खेडा - मिडात | - - - |
| 12 | नटमीलकार आसरेड | - - - |


 सहायक कलेक्टर (S.D.O.)
 आसीन्द जिला भीलवाड़ा